न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-65/2018-19

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

दुखःहरण महतो बनाम ललिता देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता –	दुखःहरण महतो, पिता–स्व० काशीनाथ महतो, ग्राम–बी० नवाडीह, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेती।
क्रेता का नाम एवं पता –	ललिता देवी, पति–रोहीदास महतो, ग्राम–बी० नवाडीह, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–गृहिणी।
विद्वान अधिवक्ता का नाम –	श्री परमेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–05/05/18 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता ललिता देवी, पति–रोहीदास महतो, ग्राम–बी० नवाडीह, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी हैः–

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
नावाडीह	सोनाहातु	72	54	1025	0.49 एकड़

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक–116(ii) दिनांक–25/03/19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम लखन महतो वगैरह, लखीचरण महतो है।

(2) विक्रेता खतियानी रैयत/ पंजी–II के पौत्र है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम काशीनाथ महतो है, तथा रैयत के पास कुल रकवा–6.32 एकड़ भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2010–11 तक वसूली गयी है।

(5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्र है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन रैयती कायमी दोन–III किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन विक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा 1.58 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को बहन की शादी एवं घरेलू खर्च हेतु विक्रय कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी (BC-I) जाति के है।

10. क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही गाँव एवं थाना के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता दुखःहरण महतो, पिता–स्व० काशीनाथ महतो, ग्राम–बी० नवाडीह, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेती, को क्रेता ललिता देवी, पति–रोहीदास महतो, ग्राम–बी० नवाडीह, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–05/05/2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता दुखःहरण महतो, पिता–स्व० काशीनाथ महतो, ग्राम–बी० नवाडीह, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेती, को क्रेता ललिता देवी, पति–रोहीदास महतो, ग्राम–बी० नवाडीह, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
नावाडीह	सोनाहातु/72	54	1025	0.49 एकड़

लेखापित एवं संशोधित।

11/05/19

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।

11/05/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।

बुण्डू।